

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-1337 / 2025

दूलीचन्द सैनी

—अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, पशु पालन, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, पशु पालन निदेशालय, टोंक रोड, जयपुर।
3. अंजु जाट, एल.एस.ए., सब सेंटर खिलचीपुरा, जिला सवाईमाधोपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.01.2025

आदेश की दिनांक : 19.02.2025

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरीराज राजोरिया, अधिवक्ता

समक्ष :- चेतन राम देवडा, सदस्य

लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में पशुधन सहायक के पद पर उप केन्द्र, मलपुरा, जिला कोटपूतली—बहरोड़ में पदस्थापित है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) द्वारा वर्तमान पदस्थापित स्थान से उप केन्द्र, खिलचीपुर, सवाईमाधोपुर में निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 के स्थान पर 300 कि.मी. दूर किया गया है एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या-3 को समायोजित किये जाने के उद्देश्य से अपीलार्थी के स्थान पर स्थानान्तरण किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी की पत्नी छाती के कैंसर से पीड़ित है। जिसका ईलाज महावीर कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर में चल रहा है। अपीलार्थी के छोटे बच्चे हैं। जिसकी समस्त जिम्मेदारी अपीलार्थी पर ही निर्भर करती है (अनुलग्नक-2)। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.

- 2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को पशुधन सहायक के पद पर उप केन्द्र, मलपुरा, जिला कोटपूतली-बहरोड में कार्य करने दिया जावे।
3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
 4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायाहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन इस आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 2 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किये जाने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावे जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।
 5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
 6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य